विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 12,48,000/-
बाजार मूल्य	: रु0 0,64,600/-
राजस्व मूल्य	: रु0 1,24,900/-
परगना	: बिजनौर

श्री विक्रय विलेख राम कुमार व अमृत लाल पुत्रगण स्व0 महावीर व श्रीमती यशोशिल्पा पत्नी स्व0 महावीर निवासी ग्राम मुजफ्फर नगर धुरावल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला

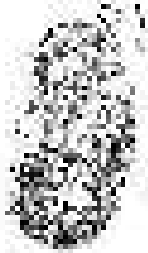

[illegible]

টাকা/২৫০০০০/-

[illegible] ১-১০-২০২০

[illegible]

সহ নিবন্ধক (সদর)

১৪-১০-২৫

[illegible]

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

0023 302675

लखनऊ जिले आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् सुखराम उर्फ मोती लाल पुत्र शिवराज फोटो निवासी–ग्राम मिर्जापुर मिटोलिया, पोस्ट–नौगांव, जिला–फतेहपुर जिले आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा नं0 204 रकबा 0.517 हेक्टेअर, 215 रकबा 0.200 हेक्टेअर, 216 रकबा 0.063 हेक्टेअर कुल रकबा 0.786 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर धुरावल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का

[illegible] निबन्धक, लखनऊ

[illegible]

[illegible] निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

DSCC 302616

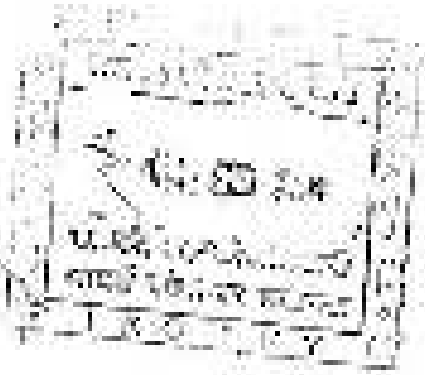

- 2 -

मालिक, कार्यिल व कार्यिल है तथा उपरोक्त सत्यापित वरनार्थिक ज्वाला अतीनी क्रम संख्या 129 के अनुसार भूमि पहले गहनीर पुत्र गंगादीन के नाम थी परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् विक्रेतागण के नाम फ्लोर प्रशासन दर्ज है। विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कार्यिल व कार्यिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि

विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व बरी बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

0303 382018

-3-

अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 12,43,000/- (बारह लाख तैंतालीस हजार रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

0000 302619

विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की

१०००रु.

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नवलक कोषपत्र से मिले
15 OCT 2024
सहायक कोषागार अधिकारी
आदर्श कोषागार अधिकारी

अड़चन मात्र नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाने तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की बात, अचल सम्पत्ति

1000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

5 OCT 2014

से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में निक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो निक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको निक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, निक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

1000 Rs.

१००० रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-2-

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] पुसनाथ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.786 हेक्टेयर की पालियत रू0 8,64,600/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,24,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में

Rs 1000

ONE THOUSAND RUPEES

कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्थवाला में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी सिंक मार्ग, राजमार्ग व जनाधीन मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि [illegible] रोड से लगभग [illegible] किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

जिलाधीश यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

मुनि तहसील नं0 204 रकबा 0.5[illegible] हेक्टेयर, 215 रकबा 0.2[illegible] हेक्टेयर, 216 रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर कुल रकबा 0.785 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर बुसवत, परगना -बिजनौर, तहसील व जिला, [illegible], जिसकी चौहद्दी लिखा है।

- 12 -

गाटा सं0 204 रकबा 0.377 हेक्टेयर

पूरब — गाटा संख्या–214

पश्चिम — [illegible] रास्ता [illegible]

उत्तर — गाटा संख्या–203

दक्षिण — गाटा संख्या–205

गाटा सं0 215 रकबा 0.206 हेक्टेयर

पूरब — गाटा संख्या–214

पश्चिम — गाटा संख्या–203

[illegible]

[illegible] SEP [illegible]
[illegible] उ0 / उप निबन्धक
[illegible]

उत्तर	: खसरा संख्या-216
दक्षिण	: खसरा संख्या-204

[illegible] 216 [illegible]

पूरब	: खसरा संख्या-218
पश्चिम	: खसरा संख्या-217
उत्तर	: खसरा संख्या-219
दक्षिण	: खसरा संख्या-215

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रु0 10,87,625/- (दस लाख सत्तासी हजार छः सौ पच्चीस मात्र) द्वारा [illegible]

दिनांकित [illegible] पंजाब नेशनल बैंक, उजरतगंज, लखनऊ के रु0 [illegible]/- (लिखा एक लाख पचपन हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) द्वारा नेक प्राप्त किये, इस प्रकार विक्रेतागण को कुल रु0 12,43,000/- (बारह लाख तैंतालीस हजार रुपये) लेना है प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 08.10.2004
गवाह

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(मेजर रमन सिंह)
एडवोकेट

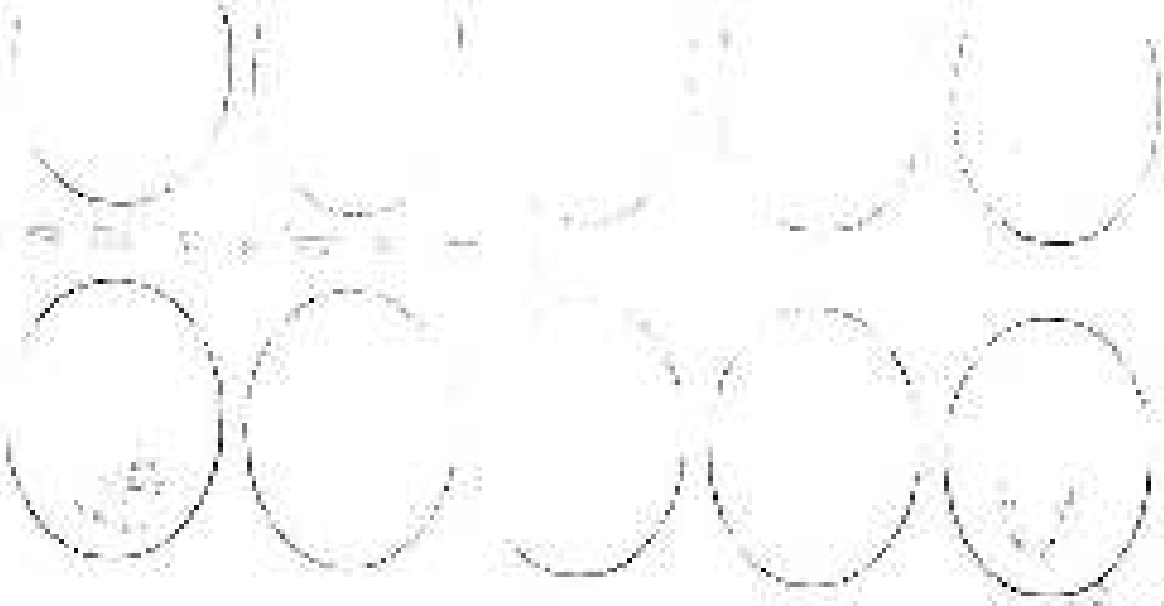

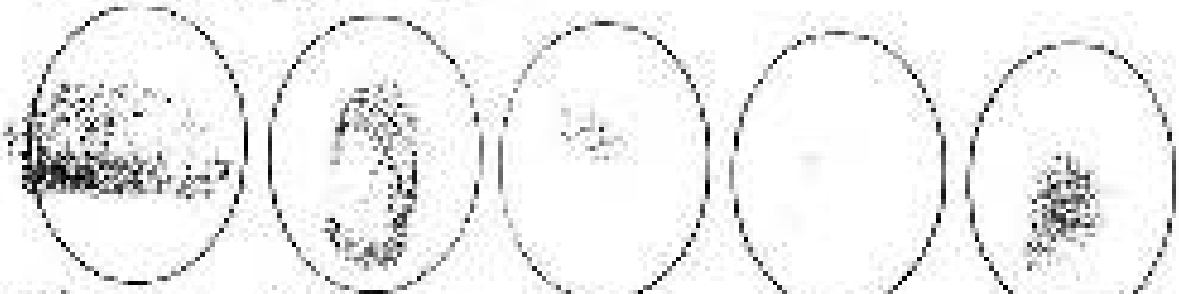

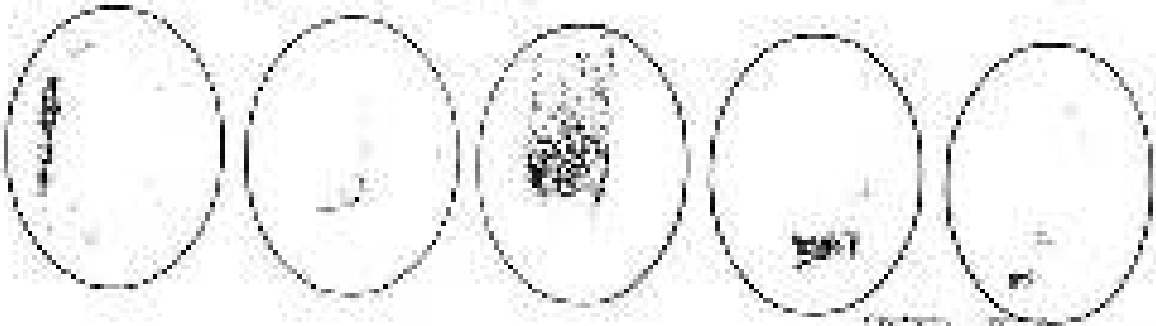

रजिस्ट्रेशन [illegible] की धारा [illegible] के अनुपालन हेतु फॉर्मेट चित्र

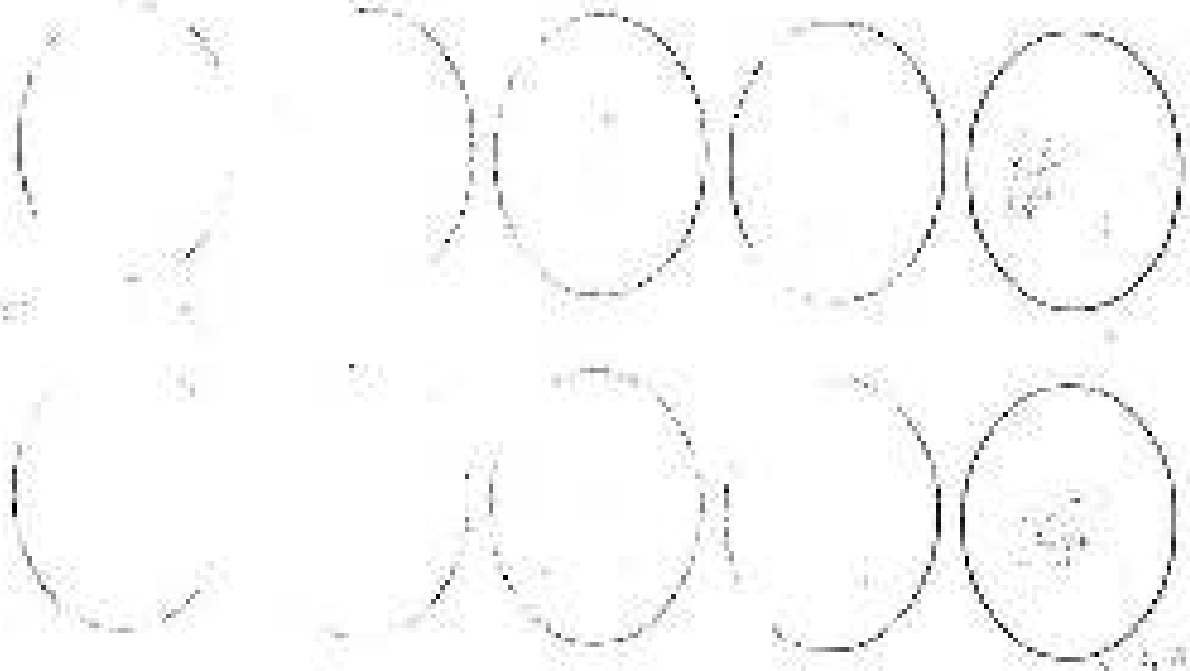

[illegible]

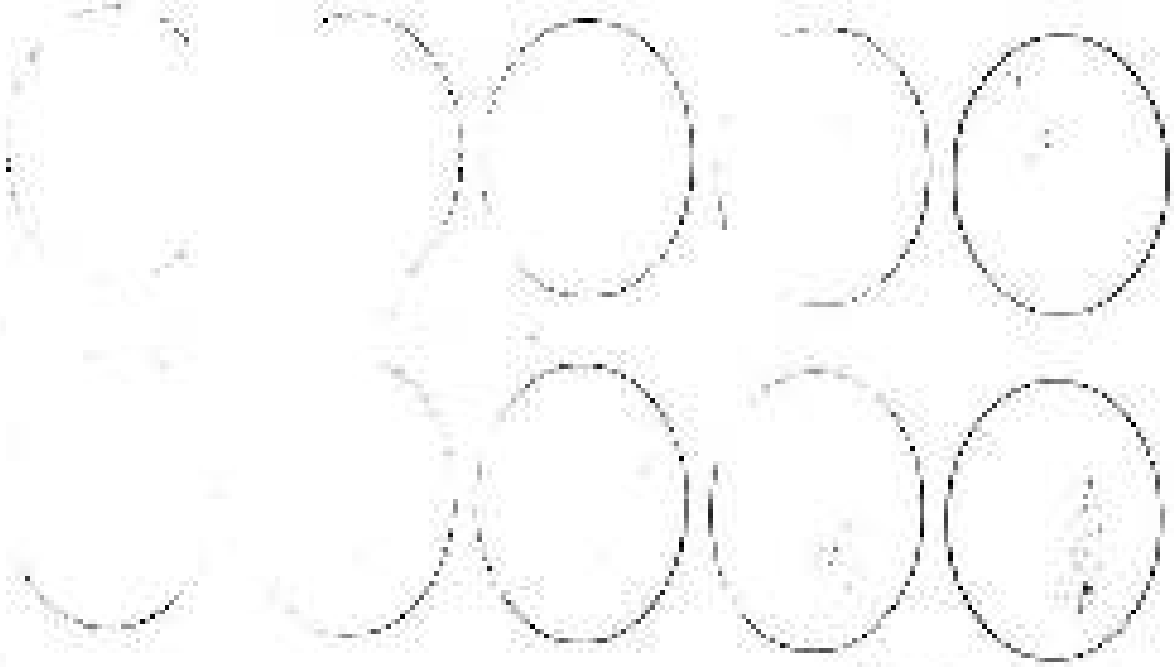

[illegible]